

## कार्यालय आख्या

त्रिसदस्यीय पीठ की पूर्ण उपस्थिति न होने के कारण सुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है। किन्तु कुछ पक्षकार उपस्थित आए जिनके द्वारा सूचना सम्बन्धी कागजात प्रस्तुत किए जो पत्रावली पर संरक्षित किए गए। अतः समस्त मामलों में अग्रिम सुनवाई दिनांक 03.06.2026 नियत की जाती है।

आज्ञा से

मा०, राज्य सूचना आयुक्त,

  
26/5/2026

पेशकार (त्रिस्तरीय पीठ)